

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक:

विषय— डा० ललन कुमार ठाकुर, सेवानिवृत्त असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि० दिनांक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि० (2) दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 615(25) दिनांक 03.04.2026 के आलोक में डा० ललन कुमार ठाकुर, सेवानिवृत्त असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति दी जाती है।

2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि लंबित अंकेक्षण/निरीक्षण प्रतिवेदन सं० 29/2024-25, 32/2024-25 एवं 35/2024-25 के निष्पादन के क्रम में कोई वसूली का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा० ललन कुमार ठाकुर से की जाएगी।

3. डा० ललन कुमार ठाकुर की सेवा निवृत्ति की तिथि 31.01.2026 है।

4. असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय पत्रांक 30.06.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि डा० ललन कुमार ठाकुर द्वारा दिनांक 24.07.2026 से सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2026 तक उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं किया गया है।

5. अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञा. वि.

811(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक : 11/9/26

प्र.

निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्र.

महालेखाकार (ले० एवं ह०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्र.

क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, कोशी प्रमंडल सहरमा/असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति

कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति

डा० ललन कुमार ठाकुर, सेवानिवृत्त असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल, पत्राचार का पता—ग्राम/मोहल्ला—ढोलबज्जा, डाकघर—ढोलबज्जा, थाना—फारबिसगंज, जिला—अररिया, पिन—854318, मो० नं० 9939180228 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति

आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. N. N. K. 11/9/26
सरकार के उप सचिव